सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–973 / 14–प0भू0वि0 / 2001

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परती भूमि विकास अनुभाग

लखनऊः दिनाँक–08 जून, 2001

विषय : हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाया जाना।

महोदय,

आप भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित हेने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए वृक्षाच्छादन किया जाना आवश्यक है। आप इस बात से भी अवगत हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह परिकल्पित है कि भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनाच्छादित / वृक्षाच्छादित होना चाहिए जिससे वनोधारित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ सतत् रूप से प्राप्त होते रहें। इस सिद्धान्त को शत–प्रतिशत राज्य वननीति 1998 में अंगीकृत किया गया है। अर्थात् प्रदेश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के 33 प्रतिशत भूभाग को वनाच्छादित / वृक्षाच्छादित किया जाना है। यह लक्ष्य प्रदेश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पुर्नगठन के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में मात्र 7.04 प्रतिशत भूभाग ही वन क्षेत्र है एवं इस पर वृक्षावरण मात्र 4.46 प्रतिशत ही है। इस अत्याधिक न्यनू वनावरण को 33 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने में आप सबका योगदान अति आवश्यक है। इसके लिए वन भूमि के बाहर हर प्रकार की उपलब्ध कृष्य / अकृष्ण भूमि यथा परती भूमि, ऊसर, बीहड़, खादर तथा अन्य प्रकार की परती भूमि, विभिन्न राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थानों के परिसर में उपलब्ध भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये। यह भी आवश्यक है कि जब तक वृक्षारोपण को समस्त राजकीय विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों, भवनालय, औद्यागिक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा अभियान के रूप में न लिया जाये तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

(अ) रणनीति

उपरोक्त परिदृश्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार पोलियो उन्मूलन के लिए प्रदेश स्तर पर सघन पल्स पोलिया महाअभियान चलाये जा रहे हैं उसी प्रकार ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाकर वर्ष 2001 वर्षाकाल में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य किया जाये तथा इसके प्रति जनता में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की जाये इस कार्यक्रम को अब प्रति वर्ष महाअभियान के रूप में चलाया जायेगा।

(ब) प्रारम्भिक तैयारी

1. पौधों की व्यवस्था –

''आपरेशन ग्रीन'' के अन्तर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए जनपद में पौध व्यवस्था हेतु विभिन्न पौधशालाओं को चिन्हित कर लिया जाये एवं इनमें (जैसे वन विभाग, उद्यान विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, प्राईवेट नर्सरियों आदि) उपलब्ध पौधों की सूचना प्रजातिवार एकत्र कर ली जाये।

2. कार्यकारी विभाग/संस्थायें –

ऐसे समस्त विभागों एवं संस्थाओं को चिन्हित कर लिया जाये जिनसे वृक्षारोपण में सक्रिय योगदान लिया जा सकता हो। निम्न उद्धरित संस्थाओं के अतिरिक्त यदि कोई और संस्थान जनपद में स्थित हो तो उनका भी योगदान प्राप्त किया जाये।

I राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/अर्द्ध सरकारी

उद्यान विभाग, जिला विकास विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, जिला बचत विभाग, विकास प्राधिकरण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, जिला पंचायती राज्य विभाग, जिला परिषद।

II केन्द्रीय सरकार के विभाग/उपक्रम/अर्द्धसरकारी

पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक, रक्षा विभाग, बीमा क्षेत्रीय कम्पनियां, आयकर विभाग, सीमा उत्पाद विभाग, रेलवे।

III स्वयं सेवी संस्थायें, शिक्षण संस्थान

विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, नेहरू युवक केन्द्र एन0सी0सी0, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आई0टी0आई0, पालीटेकनिक।

IV अन्य तीर्थ स्थल, मंदिर, धार्मिक परिसर आदि।

3. लक्ष्य आवंटन –

विगत वर्षों में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित वृहद वृक्षारोपण समिति द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष ''आपरेशन ग्रीन'' के अन्तर्गत गैर सरकारी एवं निजी संस्थाओं को भी लक्ष्य आवंटित किये जाये।

4. संसाधन व्यवस्था –

वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रयुक्तत की जाने वाले संसाधनों यथा–ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर, ट्रक, कैम्पलारी आदि की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाये।

5. स्थल चिन्हीकरण –

जनपद में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि (विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों के परिसर जैसे कलेक्ट्रेट, न्यायालय, तहसील, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, थाना, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालंज, मेडिकल कालेज, कैंट एरिया, औद्योगिक संस्थान अन्य सार्वजनिक भूमि इत्यादि) का चिन्हीकरण कर लिया जाये तथा इन क्षेत्रों में रोपित की जाने वाली उपयुक्त प्रजातियों का भी चयन कर लिया जाये।

6. नगर वनीकरण –

प्रदेश के बड़े औद्योगिक शहरों यथा कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आदि में औद्योगिक इकाइयां राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों तथा आवासीय कालोनियों के अंदर तथा बाहर उपलब्ध भूमि का चयन कर प्रभावशाली रूप से वृक्षारोपण किया जाये। ऐसी इकाइयाँ जहाँ प्रदूषण की संभावना अधिक हो वहाँ वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया जाये इस क्रम में उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टिका विकसित किए जाने के संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं0 3094 (2)–4–99–547 भा/99 दिनांक 19–01–1999 द्वारा सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक भूखंड विकसित करते समय विकसित भूखण्ड का 20 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण/हरित पट्टिका के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। आवास विभाग द्वारा भी शासनादेश सं0 2085/9–अ–3–99–23 वि/99 दिनांक 20–05–99 द्वारा शहरी

क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक से ले–आउट तथा ईकाइयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्व विभाग द्वारा भी वृक्षारोपण पट्टे द्वारा हरियाली कार्यक्रम का क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0 793/1–2–99–0–3 (आठ)/99 दिनांक 19–07–1999 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

7. जनप्रतिनिधियों की सहभागिता –

वृक्षारोपण का शुभारंभ एक महोत्सव के रूप में माननीय जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। इस अवसर पर मा0 मंत्री, मा0 जिला प्रभारी मंत्री, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 नगर पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को अवश्य आमंत्रित किया जाये। जनपद के प्रभारी मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध कर लिया जाये कि ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान दिवस'' पर वे जनपद में उपस्थित रह कर अपना अमूल्य निदेशन देने की कृपा करें।

8. प्रचार प्रसार –

वृक्षारोपण अभियान का वृहत प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों जैसे डुग्गी, मुनादी कराकर, गोष्ठियों द्वारा तथा पैम्पलेट्स बंटवाकर, समाचार पत्र, रेडियो, टी0वी0, दीवार लेखन आदि की सहायता से किया जाये।

9. नोडल अधिकारी –

व्यापक स्तर पर इस अभियान के सफल आयोजन हेतु जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये जिस जनपद में एक से अधिक प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक तैनात हैं वहाँ वरिष्ठ वनाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

10. उपरोक्त समस्त तैयारियाँ 15 जून तक पूरी कर ली जाये।

(स) आपरेश ग्रीन

1. अभियान अवधि/दिवस

वृक्षारोपण कार्यक्रम का यह अभियान 01 जुलाई से 31 अगस्त, तक की अवधि के लिए होगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु 01 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य किन्ही दो दिवस को अभियान दिवस के रूप में चिन्हित कर लिया जाए। यदि किन्हीं कारण से (जैसे बरसात आदि समय से न हो) किसी जनपद में यह दिवस उक्त अवधि में चिन्हित करना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अन्य दो दिवस चिन्हित कर सकते हैं।

2. रैली/संगोष्ठी

जनपद स्तर पर अभियान दिवस के एक दिन पूर्व पर्यावरण रैली का आयोजन प्रातः काल किया जाये एवं इसका समापन गोष्ठी का समापन वृक्षारोपण से किया जाये।

3. मृदा कार्य एवं पौध ढलान

अभियान दिवस के ठीक पूर्व वृक्षारोपण क्षेत्रों में गड्ढा खुदान कर लिया जाये तथा इंगित नर्सरियों से पौधों का ढुलान भी सुरक्षित एवं छायादार स्थान पर कर लिया जाये।

4. आमंत्रण/सूचना

अभियान दिवस के पूर्व संबंधित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण/सूचना अवश्य दे दी जाये।

5. पौधारोपण

प्रथम पौध जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाकर पौधारोपण का कार्य प्रारम्भ कराया जाये। शेष पौधे अभियान में शामिल स्थानीय नागरिकों स्कूल के छात्रों, कार्यालय कर्मचारियों, कैडेट्स स्काऊट एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाये जायें।

6. अनुश्रवण

अभियान के सफल आयोजन को सूचना जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी से प्राप्त कर अगले दिन सचिव वन को दिया जायेगा।

7. अनुरक्षण

वृक्षारोपण के उपरांत इसका अनुरक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित भू–स्वामी/विभाग/संस्था का होगा। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(द) अभियान हेतु वित्तीय संसाधन

भूमि उपयोग करने वाले सम्बन्धित विभाग यथा वन, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, खनन, उद्यान, मत्सय पालन, आवास विभाग तथा भूमि संरक्षण अपने–अपने विभागीय बजट से अभियान को सफल बनायेंगे। इस क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा निम्न शासनादेश भी निर्गत किये जा चुके हैं जिसमें उनके आयोजनागत बजट से कम से कम एक प्रतिशत धनराशि भूमि एवं जन संरक्षण, वाटरशेड डेवलेपमेन्ट एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु लगाये जाने का प्राविधान राज्य वन नीति 1998 के अनुरूप किया गया है।

I लोकनिर्माण 2212/23–2–98–8/99 दिनांक 22–07–1999

II सिंचाई 897(एवी)/99–27–सि0–9–10–एस0ए0बी0 दिनांक 22–07–1999

III औद्योगिक विकास 3094/77–4–99–8–547 भा/99 दिनांक 19–07–1999

IV आवास 2731/9–आ–3–99–25 विविध/99 दिनांक 09–07–1999

V ऊर्जा 1809 बी 1/99–24–39–पी/99 दिनांक 11–06–1999

VI उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 1380/58–2–99–80/99 दिनांक 15–06–1999

V कृषि 3079/12–3–99–71/99 दिनांक 31–08–1999

तद्नुसार ही ''आपरेशन ग्रीन'' को सफल बनाये जाने के लिए वित्तीय संसाधन का उपयोग किया जाये।

इस अभियान हेतु संसाधन व्यवस्था में सांसद/विधायक निधि से भी धनराशि प्राप्त करने हेतु माननीय सांसदों एवं विधायकों से अनुरोध किया जाये। ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र प्रमुख को यह दायित्व दिया जाये कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग वे भी अपने–अपने ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सीमा में वृक्षारोपण के लिए करें। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जिला येाजना के अन्तर्गत पर्यावरण जागरूकता हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का उपयोग इस कार्यक्रम हेतु भी किया जाये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह अभियान पूर्ण रूप से सफल होगा।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या – 975/14–प0भू0वि0/2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय, मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों/निदेशक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जिलाधिकारी को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सशुल्क पौध भी विभिन्न यावक श्रोतों को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव